प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1. **समस्त मण्डलीय अपर निदेशक,** चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
2. **समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,** उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः–एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./एम.एण्ड ई./2019–20/16/ 6085-2 दिनांकः 15-10-19

विषयः–चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों की दिनांक 25.09.2019 को आहूत वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से सम्पन्न समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में दिनॉक 25 सितम्बर 2019 को प्रदेश के समस्त मण्डलों के समस्त जनपदों में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों की वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से समीक्षा की गई। वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग में मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सांची, प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0एम0एस0सी0एल0, अपर मिशन निदेशक, वरिष्ठ सलाहकार, एन0एच0एम0, निदेशक–संचारी, निदेशक, चिकित्सा उपचार, निदेशक, परिवार कल्याण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशालय, परिवार कल्याण महानिदेशालय एवं राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। मण्डल/जनपद स्तर से समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, मुख्य चिकित्साधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका–जिला स्तरीय चिकित्सालय, जनपद स्तरीय अधिकारी एवं प्रबंधकों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

उक्त के क्रम में समीक्षा बैठक का अनुमोदित कार्यवृत्त पत्र के साथ संलग्न कर आपको इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि कार्यवृत्त में दिये गये निर्देशों का नियमानुसार अनुपालन सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आख्या प्रमुख सचिव, महानिदेशालय एवं मिशन निदेशक कार्यालय को 10 दिनों के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–अनुमोदित कार्यवृत्त।

भवदीया,

(जसजीत कौर)
अपर मिशन निदेशक

पत्रांकः–एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./एम.एण्ड ई./2019–20/16/ तद्दिनांकः

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ प्रेषित।
2. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ प्रेषित।
3. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश।
4. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सांची, उत्तर प्रदेश।
8. वरिष्ठ सलाहकार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, जिला पुरूष/महिला/संयुक्त चिकित्सालय, उ0प्र0।
10. वित्त नियंत्रक, अधिशासी अभियन्ता, समस्त महाप्रबन्धक एवं उपमहाप्रबंधक, एस.पी.एम.यू.,एन.एच.एम. उत्तर प्रदेश।
11. समस्त मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक/जिला कार्यक्रम प्रबंधक, एन.एच.एम. उत्तर प्रदेश।

(जसजीत कौर)
अपर मिशन निदेशक

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1. **समस्त मण्डलीय अपर निदेशक,** चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
2. **समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,** उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः–एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./एम.एण्ड ई./2019–20/16/ दिनांकः 15-10-19

विषयः–चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों की दिनांक 25.09.2019 को आहूत वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से सम्पन्न समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में दिनॉक 25 सितम्बर 2019 को प्रदेश के समस्त मण्डलों के समस्त जनपदों में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों की वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से समीक्षा की गई। वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग में मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सांची, प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0एम0एस0सी0एल0, अपर मिशन निदेशक, वरिष्ठ सलाहकार, एन0एच0एम0, निदेशक–संचारी, निदेशक, चिकित्सा उपचार, निदेशक, परिवार कल्याण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशालय, परिवार कल्याण महानिदेशालय एवं राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। मण्डल/जनपद स्तर से समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, मुख्य चिकित्साधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका–जिला स्तरीय चिकित्सालय, जनपद स्तरीय अधिकारी एवं प्रबंधकों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

उक्त के क्रम में समीक्षा बैठक का अनुमोदित कार्यवृत्त पत्र के साथ संलग्न कर आपको इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि कार्यवृत्त में दिये गये निर्देशों का नियमानुसार अनुपालन सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आख्या प्रमुख सचिव, महानिदेशालय एवं मिशन निदेशक कार्यालय को 10 दिनों के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–अनुमोदित कार्यवृत्त।

भवदीया,

(जसजीत कौर)
अपर मिशन निदेशक

पत्रांकः–एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./एम.एण्ड ई./2019–20/16/ 6085-2(11) तद्दिनांकः

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ प्रेषित।
2. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ प्रेषित।
3. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश।
4. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सांची, उत्तर प्रदेश।
8. वरिष्ठ सलाहकार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, जिला पुरूष/महिला/संयुक्त चिकित्सालय, उ0प्र0।
10. वित्त नियंत्रक, अधिशासी अभियन्ता, समस्त महाप्रबन्धक एवं उपमहाप्रबंधक, एस.पी.एम.यू.,एन.एच.एम. उत्तर प्रदेश।
11. समस्त मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक/जिला कार्यक्रम प्रबंधक, एन.एच.एम. उत्तर प्रदेश।

(जसजीत कौर)
अपर मिशन निदेशक

वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग दिनॉक 25 सितम्बर 2019 का कार्यवृत्त

प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में दिनॉक 25 सितम्बर 2019 को प्रदेश के समस्त मण्डलों के समस्त जनपदों में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों की वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से समीक्षा की गई। वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग में मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सांची, प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0एम0एस0सी0एल0, अपर मिशन निदेशक, वरिष्ठ सलाहकार, एन0एच0एम0, निदेशक–संचारी, निदेशक, चिकित्सा उपचार, निदेशक, परिवार कल्याण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशालय, परिवार कल्याण महानिदेशालय एवं राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। मण्डल/जनपद स्तर से समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, मुख्य चिकित्साधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका–जिला स्तरीय चिकित्सालय, जनपद स्तरीय अधिकारी एवं प्रबंधकों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग का प्रारम्भ प्रमुख सचिव द्वारा किया गया। बैठक के दौरान निम्न निर्देश दिये गये–

आयुष्मान भारत–

1. **गोल्डेन कार्डः–** प्रमुख सचिव द्वारा प्रदेश के समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों से अधिक से अधिक गोल्डेन कार्ड बनाये जाने की अपेक्षा की गयी, उनके द्वारा गोल्डेन कार्ड बनाये जाने में सबसे पिछड़े निम्न 08 जनपदों के कार्य कलाप के सम्बन्ध में अप्रसन्ता व्यक्त की गयी। सबसे पिछड़े 08 निम्न जनपदो की गहन समीक्षा की गयी जनपदवार लक्षित लाभार्थी के सापेक्ष बनवाये गये गोल्डेन कार्ड एवं ऐसे ग्रामों की संख्या जिनमें अभी तक एक भी गोल्डेन कार्ड नहीं बनवाया गया है का विवरण निम्न तालिका में दर्शित है :–

क्रम सं0	जनपद का नाम	पात्र लाभार्थियों के सापेक्ष बने गोल्डेन कार्डो का प्रतिशत	गाव की संख्या जिनमें एक भी गोल्डेन कार्ड नही बना है।
1	चित्रकूट	14.6 प्रतिशत	110
2	लखीमपुर खीरी	15.4 प्रतिशत	336
3	बहराईच	19.3 प्रतिशत	240
4	बांदा	20.2 प्रतिशत	99
5	उन्नाव	21.5 प्रतिशत	294
6	एटा	21.9 प्रतिशत	305
7	रायबरेली	22.0 प्रतिशत	197
8	सीतापुर	24.0 प्रतिशत	246

i. **चित्रकूट–** जनपद चित्रकूट में कुल लक्षित लाभार्थी परिवार 78,868 हैं जिसके सापेक्ष दिनांक 23 सितम्बर, 2019 तक कुल 11,529 गोल्डेन कार्ड बनवाये गये हैं। कुल लक्षित परिवारों के सापेक्ष 7.4 प्रतिशत परिवार के एक सदस्य को ही गोल्डेन कार्ड प्राप्त हुआ है। जनपद के 110 गांव ऐसे हैं जिसमें अभी तक एक भी गोल्डेन कार्ड नहीं बना है।

ii. लखीमपुर खीरी– जनपद लखीमपुर खीरी में कुल लक्षित लाभार्थी परिवार 3,84,544 के सापेक्ष अभी तक 59,070 गोल्डेन कार्ड बनवाये गये हैं, जो मात्र 15.4 प्रतिशत ही है। जनपद लखीमपुर खीरी में कुल 336 गांव ऐसे हैं जहां के किसी भी पात्र लाभार्थी परिवार का एक भी गोल्डेन कार्ड नहीं बना है।

iii. **बहराईच**– जनपद बहराईच में कुल 252715 लक्षित परिवारों के सापेक्ष 48773 गोल्डेन कार्ड बनाया गये हैं। जो मात्र 19.3 प्रतिशत है। जनपद बहराईच में कुल 240 गांव ऐसे हैं जहां के किसी भी पात्र लाभार्थी परिवार का एक भी गोल्डन कार्ड नहीं बना है।

iv. **बांदा**– जनपद बांदा में कुल 138516 लक्षित परिवारों के सापेक्ष 27989 गोल्डेन कार्ड बनाया गये हैं। जो मात्र 20.2 प्रतिशत है। जनपद बांदा में कुल 99 गांव ऐसे हैं जहां के किसी भी पात्र लाभार्थी परिवार का एक भी गोल्डन कार्ड नहीं बना है।

v. **उन्नाव**– जनपद उन्नाव में कुल 307666 लक्षित परिवारों के सापेक्ष 66226 गोल्डेन कार्ड बनाया गये हैं। जो मात्र 21.5 प्रतिशत है। जनपद उन्नाव में कुल 294 गांव ऐसे हैं जहां के किसी भी पात्र लाभार्थी परिवार का एक भी गोल्डन कार्ड नहीं बना है।

vi. **एटा**– जनपद एटा में कुल 94336 लक्षित परिवारों के सापेक्ष 20632 गोल्डेन कार्ड बनाया गये हैं। जो मात्र 21.9 प्रतिशत है। जनपद एटा में कुल 305 गांव ऐसे हैं जहां के किसी भी पात्र लाभार्थी परिवार का एक भी गोल्डन कार्ड नहीं बना है।

vii. **रायबरेली**:– जनपद रायबरेली में कुल 301513 लक्षित परिवारों के सापेक्ष 66301 गोल्डेन कार्ड बनाया गये हैं। जो मात्र 22.0 प्रतिशत है। जनपद रायबरेली में कुल 197 गांव ऐसे हैं जहां के किसी भी पात्र लाभार्थी परिवार का एक भी गोल्डन कार्ड नहीं बना है।

viii. **सीतापुर**:– जनपद सीतापुर में कुल 440011 लक्षित परिवारों के सापेक्ष 105400 गोल्डेन कार्ड बनाया गये हैं। जो मात्र 24.0 प्रतिशत है। जनपद सीतापुर में कुल 246 गांव ऐसे हैं जहां के किसी भी पात्र लाभार्थी परिवार का एक भी गोल्डन कार्ड नहीं बना है।

प्रमुख सचिव महोदय द्वारा गोल्डेन कार्ड बनाये जाने की धीमी प्रगति पर असन्तोष व्यक्त करते हुये उक्त जनपदों के साथ–साथ अन्य सभी जनपदों को यह निर्देश दिये गये कि एक माह के अन्दर छूटे हुये गांव के पात्र लाभार्थियों का गोल्डेन कार्ड बनवाया जाना सुनिश्चित किया जाये। माह अक्टूबर में होने वाली समीक्षा बैठक में शत–प्रतिशत से कम प्रगति को प्रतिकूल दृष्टि से देखा जायेगा। साचीज द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि जनपदों को उन ग्रामों की सूची उपलब्ध करा दी जायेगी जिन ग्रामों में एक भी पात्र लाभार्थी को गोल्डेन कार्ड नहीं बनवाया गया है। ऐसे जनपदों से अपेक्षित है कि वह माइक्रो प्लानिंग करते हुये ऐसे गांव के समस्त पात्र लाभार्थियों के गोल्डेन कार्ड बनवाना सुनिश्चित करें।

जनपद बहराईच में स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के नोडल अधिकारी बनाये जाने के सम्बन्ध में, पूछे जाने पर द्वारा जनपद बहराईच द्वारा यह बताया गया कि जनपद में अपर मुख्य चिकित्साधिकारी की तैनाती न होने के कारण स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया था। मुख्य चिकित्साधिकारी ने बताया कि वर्तमान में अपर मुख्य चिकित्साधिकारी की तैनाती हो गयी है, अब उन्हें नोडल अधिकारी बना दिया जायेगा। प्रमुख सचिव महोदय ने अपर मुख्य चिकित्साधिकारी को योजना के कुशल संचालन हेतु नोडल अधिकारी नामित किये जाने के निर्देश दिये।

2. **चिकित्सीय उपचार प्राप्त लाभार्थियों के सम्बन्ध में**

प्रमुख सचिव द्वारा वीडियो कॉन्फेन्सिंग में 10 सबसे अधिक उपचार करने वाले जनपदों की समीक्षा की गयी। 10 सबसे अधिक उपचार करने वाले जनपद क्रमशः बागपत (4.5%), बरेली (3.8%), जी0बी0 नगर (3.7%), हापुड (3.6%), वाराणसी (3.4%), चन्दौली (3.4%), भदोही (2.9%), बुलन्दशहर (2.3%), अमरोहा (2.3%), सन्तकबीर नगर (2.3%) की प्रगति से सन्तोष व्यक्त करते हुए उनसे भविष्य में इसी प्रकार की गति बनाये रखने की अपेक्षा की गई। प्रमुख सचिव द्वारा वीडियो कॉन्फेन्सिंग में 10 सबसे कम उपचार करने वाले जनपदों की समीक्षा की गयी। 10 सबसे कम उपचार करने वाले जनपद क्रमशः सिद्वार्थनगर (0.35%), रायबरेली (0.38%), बहराईच (0.38%), सुल्तानपुर (0.47%), लखीमपुर खीरी (0.51%), बांदा (0.53%), मऊ (0.66%), अमेठी (0.75%),

सीतापुर (0.76%), फतेहपुर (0.82%), हमीरपुर (0.83%), प्रमुख सचिव महोदय ने उक्त जनपदों द्वारा कम उपचार के दृष्टिगत सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारियों द्वारा की गयी प्रगति से असन्तोष व्यक्त करते हुये उपचार में अपेक्षित प्रगति लाये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

दावों को भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में जनपदों से की गयी मांग के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव महोदय द्वारा यह निर्देश भी दिये गये जिन दावों को निरस्त कर दिया गया है उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित जनपद द्वारा पूरे मामले की स्वतः स्पष्ट आख्या सहित साचीज को प्रस्ताव पुनः प्रेषित किया जाये। उनके द्वारा साचीज से यह अपेक्षा की गयी कि वह ऐसे दावों का गहन परीक्षण करें, यदि दावें भुगतान योग्य हों तो उनका यथा समय भुगतान सुनिश्चित किया जाये।

3. **<u>सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की सूचीबद्धताः–</u>**

यह संज्ञान में लाने पर कि बहुत से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को अभी तक आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत सूचीबद्ध नहीं किया गया है, प्रमुख सचिव महोदय द्वारा इस सम्बन्ध में समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वह अपने जनपद के ऐसे सामुदायिक केन्द्रों, जो अभी तक योजना के अन्तर्गत सूचीबद्ध नहीं हैं को सूचीबद्ध किये जाने हेतु डिस्ट्रिक्ट ईम्पैनलमेन्ट कमेटी से अनुमोदन कराते हुए प्रकरण स्टेट ईम्पैनलमेन्ट कमेटी को एक सप्ताह प्रेषित करना सुनिश्चत करें। प्रमुख सचिव द्वारा साचीज से यह अपेक्षा की गई कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सूचीबद्ध किये जाने के प्रस्तावों को तत्काल स्वीकार करने के सम्बन्ध में यथावश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारियों से निम्नवत् कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी–

i. चिकित्सालयों को आबद्ध करने का प्रस्ताव देते समय अस्पताल में उपलब्ध चिकित्सकों के सापेक्ष स्पेशयालिटी का चयन किया जाये।
ii. गोल्डेन कार्ड बनाये जाने में तेजी लाई जाये। साचीज द्वारा शीघ्र ही वह ऑकड़ें उपलब्ध करा दिये जायेगें जिसके आधार पर उन ग्रामों/परिवारों का चिन्हॉकन उपलब्ध कराया जायेगा, जिसमें परिवार के किसी भी सदस्य का गोल्डेन कार्ड नहीं बनाया गया है। मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने उपरोक्तानुसार माइक्रोप्लान बनाकर गोल्डेन कार्ड बनाने का कार्य किये जाने के निर्देश दिये गये।
iii. मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को यह भी निर्देश दिये गये कि इस बात का ध्यान रखा जाये कि कोई फर्जी गोल्डेन कार्ड न बन पाये और उसके आधार पर कोई अपात्र लाभार्थी चिकित्सा सुविधा का लाभ न प्राप्त कर सके।

<u>जे0ई0/ए0ई0एस0 के अंतर्गत दस्तक अभियान/संचारी रोग नियंत्रण माह–</u>

4. निर्देशित किया गया कि प्रदेश के समस्त जनपदों में दिनांक 02 सितम्बर से 30 सितम्बर 2019 तक संचालित किये जा रहे विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान के अंतर्गत समस्त गतिविधियों की शत–प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित की जाये।
5. अभियान के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों जैसे– स्कूल रैली, प्रभात फेरी, प्रधान मीटिंग, वी0एच0एस0एन0सी0 मीटिंग, नालियों की सफाई एवं अन्य गतिविधियों में 40 प्रतिशत से कम उपलब्धि वाले जनपदों को विशेष रूप से ध्यान देते हुये गतिविधियों को पूर्ण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

6. निदेशक–संचारी द्वारा अवगत कराया गया कि विभिन्न स्तरों से किये गये अनुश्रवण से प्रकाश में आया कि जनपद स्तर पर अभियान से संबंधित सक्रियता की कमी है। आशाओं के द्वारा घर–घर जाकर अभियान से संबंधित जानकारी इत्यादि प्रदान नहीं की जा रही है।
7. निर्देशित किया गया कि पानी जमा होने वाले स्थानों पर समुचित रूप से छिडकांव सुनिश्चित करें, जिससे डेंगू, मलेरिया इत्यादि से बचाव किया जा सके।

बाढ़ की तैयारी–

8. समस्त जनपदों पर बाढ़ से प्रभावित/उत्पन्न रोगों की रोकथाम आवश्यक औषधियॉ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना सुनिश्चित किया जाए एवं जिन जनपदों के पास पर्याप्त मात्रा में औषधिया/रसायन उपलब्ध न हो वे तत्काल क्रय कर उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अनिवार्य रूप से एन्टी स्नेक वीनम की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
9. स्वास्थ्य विभाग की टीम चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ तथा आवश्यक औषधियों के साथ तैनाती की जाए।
10. प्रत्येक प्रभावित ग्राम/क्षेत्र/प्रभावित प्रा0/सामु0स्वा0केन्द्र की बाढ़ चौकियों पर निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा 108 एवं 102 चौबीस घण्टे की तैनात रहे।
11. संक्रामक रोग जैसे; डायरिया, दस्त, हैजा, पीलिया, टाइफाइड पर निगरानी एवं नियंत्रण हेतु कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

आई0एच0आई0पी0 पोर्टल–

12. समस्त जनपद नियमानुसार फीडिंग सुनिश्चित करें तथा यदि डाटा ऑपरेटर नहीं है तो नियमतः उक्त को रखा जाय।
13. आई0एच0आई0पी0 पर फार्म–पी एवं एल की रिपोर्टिंग न्यूनतम 90 प्रतिशत (पंजीकृत रिपोर्टिंग यूनिट के सापेक्ष) आगामी 10 दिवसों में एवं फार्म–एस0 पर न्यूनतम 50 प्रतिशत (पंजीकृत रिपोर्टिंग यूनिट के सापेक्ष) रिपोर्टिंग आगामी 15 दिवसों में करवाना सुनिश्चित करें।

आई0डी0एस0पी0 पोर्टल–

14. जैसा कि आपको ज्ञात है कि आई0डी0एस0पी0 के फार्म–पी0एल एवं एस0 नीति आयोग के इंडीकेटर का एक अभिन्न अंग है। अतः जनपदों में फार्म–एस0, पी0 एवं एल0 की रिपोर्टिंग प्रतिशत (पंजीकृत रिपोर्टिंग यूनिट के सापेक्ष) 50 प्रतिशत से कम है वे अपना रिपोर्टिंग प्रतिशत न्यूनतम 90 प्रतिशत करना सुनिश्चित करें।
15. प्रायः मुख्य चिकित्साधिकारियों द्वारा आई0डी0एस0पी0 कार्यक्रम के मानव संसाधन क्रमशः इपिडेमियोलॉजिस्ट, डाटा मैनेजर एवं डाटा इन्ट्री ऑपरेटर को अन्यत्र कार्य में लगा दिया जाता है, जिस कारण कार्यक्रम का मूल कार्य प्रभावित हो रहा है। उन्हें अपने मूल कार्यों हेतु आदेशित करना सुनिश्चित किया जाए।

हैल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर–

16. अवगत कराया गया कि जनपद बलिया, मुरादाबाद, कानपुर देहात एवं पीलीभीत में अभी तक सी–बैक फार्म प्रिण्ट नहीं हुए हैं। निर्देशित किया गया कि संबंधित जनपद शीघ्रातिशीघ्र सी–बैक फार्म प्रिण्ट करवाना तथा उनकी उपलब्धता संबंधित इकाईयों पर सुनिश्चित करें।
17. कई जनपदों में यह सूचना प्राप्त हो रही है कि HWC-PHC हेतु उपलब्ध कराये जा रहे मानव संसाधन को अन्यत्र प्रयोग किया जा रहा है। पुनः स्पष्ट किया गया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर पर एक स्टॉफ नर्स की नियुक्ति की गई है। इन स्टॉफ नर्स को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर पर ही तैनात करना सुनिश्चित करें।
18. सभी क्रियाशील हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर द्वारा नियमित रूप से डेली रिपोर्टिंग पोर्टल पर किया जाना है परन्तु अभी तक प्रदेश में 80 प्रतिशत केन्द्रों के द्वारा ही डेली रिपोर्टिंग की जा रही है। जनपद–सोनभद्र, अयोध्या, बांदा, हमीरपुर, मैनपुरी, बलरामपुर, बदायूं एवं महराजगंज की रिपोर्टिंग 30 प्रतिशत से कम है। निर्देशित किया गया कि समस्त जनपद हैल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर की दैनिक रिपोर्ट ससमय करना सुनिश्चित करें।
19. निर्देशित किया गया कि समस्त हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर में आवश्यक औषधियों एवं उपकरणों की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
20. निर्देशित किया गया कि सम्बन्धित चिकित्सा अधिकारियों, स्टाफ नर्स, ए0एन0एम0 एवं आशाओं को गैर संचारी रोग के मॉड्यूल में प्रशिक्षित किया जाये।

एम्बुलेन्स सेवायें–

21. निर्देशित किया गया कि गत दिनों 102 एवं 108 एम्बुलेन्स कर्मियों द्वारा की गयी हड़ताल के आधार पर शीघ्र ही दण्डात्मक कार्यवाही की जा रही है। हड़ताल के दौरान यदि एम्बुलेन्स की अनुपलब्धता के कारण मृत्यु हुई है तो उसकी सूचना राज्य स्तर पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा संबंधित के विरूद्ध मुख्य चिकित्साधिकारी एफ0आई0आर0 भी कराना सुनिश्चित करें।

बाल स्वास्थ्य–

22. निर्देशित किया गया कि मुख्य चिकित्साधिकारियों को एस0एन0सी0यू0 एवं एन0बी0एस0यू0 के उपकरणों को क्रय करने हेतु अनुमति राज्य स्तर से प्रदान की जा रही है। अतः जनपद में स्थित समस्त एस0एन0सी0यू0/एन0बी0एस0यू0 में आवश्यकतानुसार उपकरणों की उपलब्धता जैम पोर्टल के माध्यम से करवाना सुनिश्चित करें।
23. एस0एन0सी0यू0 में डाटा इन्ट्री आपरेटर के रिक्त पदों को शीघ्रातिशीघ्र भरा जाना सुनिश्चित करें। साथ ही साथ अनावश्यक रूप से आउटसोर्सिंग एजेन्सियों के माध्यम से नियुक्त डाटा इन्ट्री आपरेटरों को बार–बार परिवर्तित न किया जाये।
24. एन0आर0सी0 के अंतर्गत केयर टेकर एवं फीडिंग डिमांसट्रेटर के पदों पर शीघ्रातिशीघ्र चयन/नियुक्ति सुनिश्चित करें तथा राज्य स्तर से आवंटित धनराशि को दिशा–निर्देशों के अनुसार व्यय करना सुनिश्चित करें।

मातृ स्वास्थ्य–

25. निर्देशित किया गया कि समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी यह सुनिश्चित करें कि समस्त गर्भवती महिलाओं की चार प्रसव पूर्व जांचें आवश्यक रूप से की जाये तथा लक्ष्य के अनुसार शत–प्रतिशत संस्थागत प्रसव सम्पादित किये जाये।

26. अवगत कराया गया कि जिला महिला चिकित्सालय, मऊ, बांदा, जिला संयुक्त चिकित्सालय–औरय्या, सम्भल, ई0एस0आई0–कानपुर में माह जुलाई 2019 में एक भी सी–सेक्शन नहीं सम्पादित कराया गया। निर्देशित किया गया कि प्रत्येक एफ0आर0यू0 पर दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रत्येक माह सी–सेक्शन कराया जाना सुनिश्चित करें।
27. निर्देशित किया गया कि एच0एम0आई0एस0 पोर्टल एवं आर0सी0एच0 पोर्टल पर संबंधित सूचनाओं की ससमय फीडिंग सुनिश्चित करायें।
28. प्रमुख सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि संस्थागत प्रसव के उपरान्त शत–प्रतिशत जन्म पंजीकरण सी0आर0एस0 पोर्टल पर करवाना अनिवार्य है। अत्यन्त खेद का विषय है कि पूरे प्रदेश में वर्ष 2018–19 के दौरान कुल जीवित जन्मों के सापेक्ष मात्र 60 प्रतिशत जन्मों को ही सी0आर0एस0 पोर्टल पर पंजीकृत किया गया। अनेकों जनपदों में जीवित जन्म के सापेक्ष सी0आर0एस0 पोर्टल पर जन्म पंजीकरण की स्थिति अत्यन्त चिंता जनक है। इस विषय में सभी जनपदों को सख्त निर्देश दिये गये कि वर्ष 2019 में जन्में बच्चों के साथ–साथ पूर्व में जन्में बच्चों का पंजीकरण भी पोर्टल पर शीघ्रातिशीघ्र पंजीकृत करवाना सुनिश्चित करें। एक माह में जन्म पंजीकरण की स्थिति में सुधार परिलक्षित न होने की दशा में नियमानुसार वित्तीय दण्ड का प्रावधान किया जायेगा। जन्म पंजीकरण में 50 प्रतिशत से कम की उपलब्धि वाले जनपद निम्न हैं–

वर्ष 2019 में माह जनवरी से जून (06 माह) तक प्राप्त सूचनाओं के आधार पर 50 प्रतिशत से कम उपलब्धि वाले जनपद					
क्र0सं0	जनपद	जन्म	क्र0सं0	जनपद	जन्म
1	हरदोई	9.22	12	जौनपुर	42.57
2	महाराजगंज	26.76	13	मऊ	43.17
3	अयोध्या	28.32	14	मेरठ	43.88
4	फर्रूखाबाद	30.47	15	वाराणसी	44.65
5	आजमगढ़	31.85	16	प्रयागराज	45.90
6	महोबा	36.33	17	उन्नाव	46.15
7	फतेहपुर	40.46	18	हमीरपुर	48.51
8	बस्ती	41.57	19	देवरिया	48.87
9	औरय्या	41.61	20	अमेठी	48.99
10	गाजीपुर	41.96	21	बाराबंकी	49.69
11	झांसी	42.39	22	चन्दौली	49.95

नियमित टीकाकरण

29. डब्लू0एच0ओ0 मानीटरिंग डाटा के अनुसार पूर्ण प्रतिरक्षण में 75 प्रतिशत से कम उपलब्धि वाले 15 जनपदों यथा–श्रावस्ती, मथुरा, कौशाम्बी, अमरोहा, आगरा, सम्भल, प्रयागाज, बहराइच, बिजनौर, जौनपुर, मुरादाबाद, पीलीभीत, फिरोजाबाद, बलिया एवं बाराबंकी को निर्देशित किया गया कि विशेष सत्रों का आयोजन करते हुये शत–प्रतिशत पूर्ण प्रतिरक्षण करवाना सुनिश्चित करें। जनपद बाराबंकी, फिरोजबाद, बलिया, पीलीभीत एवं मुरादाबाद के मुख्य चिकित्साधिकारी को विशेष रूप से संबोधित करते हुए सुधारात्मक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया।
30. नियमित टीकाकरण के अंतर्गत ड्यू लिस्ट को अद्यतन करना, बुलावा पर्ची का प्रयोग एवं इम्यूनाइजेशन ट्रैंकिग बुकलेट का शत्–प्रतिशत प्रयोग करना सुनिश्चित करें। जिससे प्रदेश के सभी

जनपदों में पूर्ण प्रतिरक्षित बच्चों का प्रतिशत 90 प्रतिशत से अधिक दिसम्बर, 2019 तक प्राप्त किया जा सके।

31. राज्य प्रतिरक्षण अधिकारी द्वारा प्रदेश में वर्ष 2019 में पाए गए जनपदवार डिप्थीरिया केसेस के बारे में अवगत कराया एवं निम्नलिखित कार्यवाही करने हेतु अनुरोध किया गया–
    i. डिप्थीरिया वाले सभी ब्लाकों में एक्टिव केस सर्च करते हुए एक स्पेशल एक्टिवीटी प्लान की जाए एवं सभी 7 वर्ष तक के छूटे हुए बच्चों का डी0पी0टी0 टीकाकरण कराया जाए।
    ii. 10 वर्ष (कक्षा–5) एवं 16 वर्ष (कक्षा–10) के सभी बच्चों को टी0डी0 वैक्सीन से आच्छादित किया जाए।
    iii. सभी चिकित्सालयों में (जिला अस्पताल, सा0स्वास्थ्य केन्द्र, प्रा0 स्वा0 केन्द्र) ए0डी0एस0 (एन्टीडिप्थिरिक सिरम) की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
32. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि एच0एम0आई0एस0 पोर्टल के डाटा एवं मानीटरिंग डाटा के आंकड़ों में भिन्नता न हो।

बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेण्ट–

33. निर्देशित किया गया कि सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों के साथ–साथ निजी चिकित्सालयों/नर्सिंग होम का प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा पंजीकरण किया जाना सुनिश्चित करें।
34. निर्देशित किया गया कि बायो मेडिकल शेड हेतु धनराशि राज्य स्तर से जनपदों को आवंटित की जा चुकी हैं, जिसका उपयोग करते हुये शीघ्रातिशीघ्र चिकित्सालयों में बायो मेडिकल शेड का निर्माण करवाना सुनिश्चित करें।
35. डी–बैरल पिट के निर्माण हेतु राज्य स्तर से धनराशि आवंटित कर दी गयी है। धनराशि का उपयोग करते हुये नियमानुसार निर्माण सुनिश्चित करें तथा राज्य स्तर पर भी सूचित करें।
36. मुख्य चिकित्साधिकारी, अलीगढ द्वारा अवगत कराया गया कि बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेण्ट के अन्तर्गत चयनित एजेण्सी को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। प्रमुख सचिव द्वारा प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0एम0एस0सी0एल0 को प्रकरण पर अग्रेतर कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया।

क्वालिटी एश्योरेन्स–

37. अवगत कराया गया कि ओ0डी0एफ0 ब्लाक हेतु राज्य स्तर से आवंटित धनराशि का व्यय जनपद बिजनौर, जालौन, कानपुर नगर, मेरठ, शामली, मथुरा एवं प्रतापगढ़ में न्यूनतम हैं। निर्देशित किया गया कि संबंधित जनपद नियमानुसार व्यय करना सुनिश्चित करें।
38. अवगत कराया गया है कि वित्तीय वर्ष 2018–19 में कायाकल्प अवार्ड हेतु 16 जनपदों यथा– आजमगढ़, बदांयु, बुलन्दशहर, भदोही, एटा, हमीरपुर, हाथरस, कासगंज, लखीमपुर खीरी, महोबा, मऊ, सम्भल, शामली, सिद्धार्थ नगर, उन्नाव एवं श्रावस्ती की एक भी स्वास्थ्य इकाई का चयन नहीं किया गया। निर्देशित किया गया कि इस वित्तीय वर्ष में संबंधित जनपदों में कायाकल्प अवार्ड हेतु स्वास्थ्य इकाईयों का चयन करते हुये अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करें।
39. निर्देशित किया गया कि ''लक्ष्य'' एवं एन0क्यू0ए0एस0 सर्टीफिकेशन भी कराना सुनिश्चित करें तथा आवंटित धनराशि का नियमानुसार व्यय भी सुनिश्चित करें।

उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन लिमिटेड से संबंधित निर्देश–

40. प्रबंध निदेशक, यू0पी0एम0एस0सी0एल0 द्वारा निर्देशित किया गया कि समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी यह सुनिश्चित करें कि दिनांक 27 सितम्बर 2019 को आयोजित किये गये प्रशिक्षण में जनपद में कार्यरत फार्मासिस्ट के द्वारा प्रतिभाग किया जाये।

41. औषधियों की इन्डेन्टिंग डी0वी0डी0एम0एस0 पोर्टल के माध्यम से ही की जानी सुनिश्चित करें। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित करें कि इन्डेन्ट में किस औषधि की कितनी मात्रा अंकित की गयी है।
42. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी अपनी आवश्यकताओं का आंकलन करते हुये तीन माह हेतु औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु इन्डेन्ट करना सुनिश्चित करें।

निर्माण–

43. मुख्य चिकित्साधिकारी, मऊ को निर्देशित किया गया कि 07 करोड़ की लागत से घोसी में बनने वाले चिकित्सालय की धनराशि संबंधित कार्यदायी संस्था को आवंटित करना सुनिश्चित करें।
44. मुख्य चिकित्साधिकारी, कौशाम्बी को निर्देशित किया गया कि निर्माणाधीन, ट्रांमा सेण्टर का निर्माण नियमानुसार करवाना सुनिश्चित करें।
45. मुख्य चिकित्साधिकारी, मेरठ को कैण्ट एवं सरधना में किये जाने वाले निर्माण कार्य से संबंधित समस्याओं को दूर करते हुये निर्माण पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये।
46. मुख्य चिकित्साधिकारी, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि आगरा पश्चिम में प्रस्तावित चिकित्सालय हेतु स्थान उपलब्ध नहीं है जिसके कारण निर्माण कार्य किया जाना सम्भव नहीं है। इस विषय में रिपोर्ट महानिदेशालय को प्रेषित की जा चुकी है।

पी0पी0पी0 परियोजनायें–

47. मुख्य चिकित्साधिकारी, अयोध्या द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद अयोध्या में सी0टी0 स्कैन दो एजेण्सी के मध्य समन्वय न होने के कारण क्रियाशील नहीं किया जा सका है। निदेशक, चिकित्सा उपचार को निर्देशित किया गया कि नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।
48. मुख्य चिकित्साधिकारी, सम्भल एवं हाथरस द्वारा अवगत कराया गया कि डायलिसिस हेतु जिला चिकित्सालय में स्थान उपलब्ध नहीं है। निदेशक, चिकित्सा उपचार को निर्देशित किया गया कि नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।
49. जनपद हमीरपुर, बलिया, अम्बेडकरनगर, हापुड (पिलखुआ), बागपत, बाराबंकी एवं भदोही द्वारा अवगत कराया गया कि कुछ समस्याओं के कारण डायलिसिस सेवायें प्रारम्भ नहीं की जा सकी हैं। निर्देशित किया गया कि डायलिसिस सेवायें प्रारम्भ करने में आ रही समस्याओं का निराकरण करवाते हुये शीघ्रातिशीघ्र सेवायें प्रारम्भ करना सुनिश्चित करें।
50. एम0सी0एच0 विंग हेतु मानव संसाधन की उपलब्धता के विषय में राज्य स्तर से कार्यवाही प्रचलित है, शीघ्र ही निर्णय लिया जाना है।

अन्त में धन्यवाद के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग का समापन किया गया।

(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक।